

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/19/1587-778 दिनांक : 06/02/19

मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/
अधीक्षण अभियन्ता/अधिशार्पी अभियन्ता,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय : बजट घोषणा वर्ष 2018-19 RUIRP-II अन्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता जांच के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभागीय समसंख्यक पत्रांक 39994-285 दिनांक 22.05.2018 एवं 50764 दिनांक 19.06.2018 के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2018-19 RUIRP Phase-II के अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों द्वारा अम्बेडकर भवन निर्माण, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, श्मशान/कब्रिस्तानों का विकास एवं सड़क/नाला-नाली के पुनरुद्धार के कार्य करवाये जा रहे हैं।

उपरोक्त कार्यों की ठोस व सतत मोनिटरिंग हेतु विभागीय पत्रांक :एफ.55()सीई/डीएलबी/2018-19/बजटघोषणा/24057-24248 दिनांक 28.03.2018 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त प्रगतिरत कार्यों की सतत समीक्षा/मोनेटरिंग करने के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में

अभियन्ताओं को नियुक्त किया गया है तथा इन अभियन्ताओं को कार्यों के दौरान गुणवत्ता जांच के लिये निर्देश भी दिये गये हैं।


वर्तमान में नगरीय निकायों में उक्त कार्य पूर्ण होने के स्तर पर हैं या प्रगतिरत हैं। निदेशालय द्वारा उच्च तकनीकी अधिकारियों यथा : अधीक्षण अभियन्ता/अधिशार्पी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को मौके पर चल रहे कार्यों के सेम्पल/नमूने आदि की अपने स्तर पर टेस्टिंग कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में लेख है कि RUIRP phase-II के अन्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों के अन्तिम बिल भुगतान से पूर्व सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी निर्धारित मापदण्डों के अनुसार गुणवत्ता जांच एवं साईट के कार्यों की माप-पुस्तिका में दर्ज माप को पूर्णतः सत्यापित करने एवं तृतीय पक्ष से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार ही संवेदकों को भुगतान आदि की कार्यवाही की जावे। उपरोक्तानुसार जांच रिपोर्ट के बिना यदि भुगतान किया जाता है, तो इसके लिये सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी जिम्मेदार होंगे।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ बजट घोषणा/19/1773-2014 दिनांक : 06/02/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
7. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियन्ता